प्रस्ताव संख्या–45 दिनांक

NMDFC, New Delhi की नवीन गाईड लाईन के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की नवीन गाईड लाईन के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार (प्रस्ताव संख्या – 17) किये जाने के उपरान्त राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा है।

1. जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि – अध्यक्ष।
2. जिले के लीड बैंक का प्रतिनिधि – सदस्य।
3. जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधि – सदस्य।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी – सदस्य सचिव।

जिला स्तरीय चयन समिति Banks, NABARD, SIDBI, RBI प्रधानमन्त्री रोजगार योजना (PMRY), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) की गाईड लाईन के अनुसार ऋण स्वीकृत करेगी।

जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण एवं उसकी सिफारिश पर राशि रू0 400000/– (राशि रू0 चार लाख मात्र) तक ऋणों के स्वीकृति आदेश जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगें। राशि रू0 400000/– से अधिक के ऋण के लिये जिला स्तर पर ऋण के आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा इसका परीक्षण जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाकर अपनी अनुशंषा के साथ निगम मुख्यालय को भिजवाये जायेंगे।

निर्णय

राजस्थानर अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में जिला स्तरीय समिति के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक

प्रस्ताव संख्या—49 दिनांक

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर में महाप्रबन्धक का पद समाप्त हो जाने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को वितरित किये जाने वाले रू0 4 लाख से ऊपर वाले ऋण स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति का पुनर्गठन प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा जा रहा हैः—

1. प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबन्धक — अध्यक्ष।
2. उद्योग विभाग के प्रतिनिधि — सदस्य।
3. राज्य बैंकर्स समिति के प्रतिनिध — सदस्य।
4. RMFDCC जयपुर में कार्यरत लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) — सदस्य।
5. निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग से एक अधिकारी जो सहायक लेखाधिकारी (प्रथम) के स्तर से कम का न हो — सदस्य
6. RMFDCC जयपुर में कार्यरत सहायक प्रबन्धक, सहकारिता — सदस्य सचिव।

निर्णय

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रबन्ध निदेशक प्रशासक